



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 44/17

निर्णय दिनांक:- 11.10.2018

1. दमे खॉ पुत्र ईस्माईल खॉ जाति मुसलमान निवासी गांव केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18-03-1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18-03-1985 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा. न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 16 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 126/39 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 19-03-1985

को आवंटित की गई थी तथा अपीलांत आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांत द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांत को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांत के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को बतौर मोहरबन्द बोली में दिनांक 08-08-2008 को कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्ध रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांत की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांत को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जाँच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर जिला कलेक्टर की उक्त टिप्पणी पर की उक्त भूमि अन्य को पूर्व में आवंटित नहीं है के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन मोहरबन्द बोली में रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांत की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांत को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन मोहरबन्द बोली के तहत दिनांक 08-08-2008 को किया गया है। वादगत् भूमि वर्ष 2001 में ही गजट में प्रकाशित हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अपीलांत उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन के तौर पर नहीं किया जा सकता था।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहाँ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्व्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोजेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्ध रूप से आराजीराज व आक्व्यूपाईडलैण्ड नहीं थी।

अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश कमांक एफ.12-1 ()/राजस्व/मुहरबन्द/4215 दिनांक 03-07-08 के द्वारा मुहरबन्द बोली द्वारा भूमि नीलामी हेतु प्राप्त उच्च क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्याधीन किया गया है कि प्रस्तावित रकबा मुहरबन्द नीलामी हेतु राजपत्र में अधिसूचित है, क्रय प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के ऊपर 15 प्रतिशत से कम नहीं है, तथा प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं। प्रकरण में रेस्पोजेन्ट को उक्त तीनों शर्तों की पूर्ति किये जाने के फलस्वरूप ही वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। इसप्रकार रेस्पोजेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत् भूमि चक 16 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 126/39 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 19-03-1985 को आवंटित की गई थी तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट को गजट में प्रकाशित होने के कारण मोहरबन्द बोली में दिनांक 08-08-2008 को किया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट को किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर बीकानेर के आदेश कमांक एफ.12-1 ()/राजस्व/मुहरबन्द/4215 दिनांक 03-07-08 द्वारा मुहरबन्द बोली द्वारा भूमि नीलामी हेतु प्राप्त उच्च क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्याधीन किया गया है कि प्रस्तावित रकबा मुहरबन्द नीलामी हेतु राजपत्र में अधिसूचित है, क्रय प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के ऊपर 15 प्रतिशत से कम नहीं है, तथा प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं के अनुसरण में किया गया है तथा रेस्पोजेन्ट द्वारा भी वादगत् भूमि की तमाम राशि खजारा राज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने-अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि वर्ष 2001 में गजट में प्रकाशित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् आराजी गजट में प्रकाशित होने के कारण रेस्पोजेन्ट को आवंटित हो चुकी है व पूर्व में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आशय का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

- (5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।
7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-03-1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर